छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक 20

दिनांक 16/07/2020

विषयः— **भाड़ाक्रय योतनांतर्गत आबंटित भवन के विरूद्ध हितग्राही द्वारा संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज राशि के साथ भारित विलंबित अवधि के ब्याज राशि में संपूर्ण छूट देने बाबत्।**

---***---

मण्डल के परिपत्र क्रमांक 27/1999 भोपाल दिनांक 18.06.1999 के द्वारा दाण्डिक ब्याज के शब्द को पूर्ण रुप से हटाकर अवशेष किश्तों की राशि का समय पर भुगतान न होने पर केवल विलंबित अवधि की ब्याज राशि उल्लेखित करने के आदेश जारी किये गये है। इस आदेश का अनुपालन करने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के आदेश क्रमांक 03 दिनांक 19.08.2010 के माध्यम से किया गया है। उक्त आदेशों से स्पष्ट है कि, दण्ड ब्याज में विलंब अवधि का ब्याज एंव दाण्डिक ब्याज दोनों सम्मिलित है, एवं दिनांक 01.07.1999 के पश्चात् निष्पादित भाड़ाक्रय अनुबंध में दाण्डिक ब्याज भारित नहीं किया जाना है।

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. एफ 3–07/2019/32 दिनांक 18/11/2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के प्रस्ताव पर भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवनों के बकायादारों को संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दण्ड ब्याज में छूट प्रदान किया गया है। आदेश दिनांक 30.09.2020 तक प्रभावशील है।

तद्संबंध में निर्देशित किया जाता है कि, भाड़ाक्रय योजनांतर्गत आबंटित भवन के हितग्राही द्वारा संपूर्ण बकाया किश्त की राशि एकमुश्त जमा करने पर भारित विलंब अवधि की ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज में 100 प्रतिशत छूट प्रदान कर आबंटित भवनों का विक्रय विलेख निष्पादित किया जाये।

(आदेशानुसार)

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

पृ.क्र.1426/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/20 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/07/2020

प्रतिलिपिः–

1- स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2- उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3- स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4- मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5- अपर आयुक्त, (जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6- मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7- प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
8- उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/वृत्त–रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
9- कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग–1, 2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- संपदा अधिकारी,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रक्षेत्र–01,02,03,04,05 रायपुर/दुर्ग राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11- आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
12- आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन,नवा रायपुर अटल नगर